भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड

नई दिल्ली, 25 सितंबर 2025

प्रेस विज्ञप्ति

सीबीडीटी ने निर्धारण वर्ष 2025-26 के लिए विभिन्न संपरीक्षा का प्रतिवेदन दाखिल करने की विनिर्दिष्ट तारीख बढ़ाई।

आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी उपबंध के तहत, पिछले वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए संपरीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की 'विनिर्दिष्ट तारीख', अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के मामले में, 30 सितंबर, 2025 है।

बोर्ड को चार्टर्ड एकाउंटेंट निकायों सहित विभिन्न वृत्तिक संगमों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें करदाताओं और व्यवसायियों द्वारा संपरीक्षा प्रतिवेदन को समय पर पूरा करने में आने वाली कुछ कठिनाइयों पर प्रकाश डाला गया है। इन अभ्यावेदनों में प्रोद्धृत कारणों में देश के कुछ हिस्सों में बाढ़ और प्राकृतिक आपदाओं के कारण उत्पन्न व्यवधान शामिल हैं, जिससे सामान्य कारबार और वृत्तिक गतिविधियाँ बाधित हुई हैं। यह मामला उच्च न्यायालयों के समक्ष भी आया है।

यह स्पष्ट किया जाता है कि आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल सुचारू रूप से और बिना किसी तकनीकी गड़बड़ी के संचालित हो रहा है और कर संपरीक्षा प्रतिवेदन

सफलतापूर्वक अपलोड किया जा रहा है। यह प्रणाली स्थिर और पूरी तरह कार्यात्मक है, जिससे विभिन्न कानूनी प्ररुप और रिपोर्ट प्रस्तुत करना संभव हो गया है। 24 सितंबर 2025 के अंत तक, 4,02,000 कर संपरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) अपलोड किए गए, जिनमें से 60,000 से अधिक कर संपरीक्षा प्रतिवेदन (टीएआर) 24 सितंबर, 2025 को अपलोड किए गए। इसके अलावा, 23 सितंबर, 2025 तक 7.57 करोड़ से अधिक आईटीआर दाखिल किए जा चुके हैं।

तथापि, कर व्यवसायियों के अभ्यावेदन और माननीय न्यायालयों के समक्ष उनकी प्रस्तुतियों को ध्यान में रखते हुए, आयकर अधिनियम, 1961 के किसी भी उपबंध के तहत पूर्ववर्ती वर्ष 2024-25 (निर्धारण वर्ष 2025-26) के लिए संपरीक्षा का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की 'विनिर्दिष्ट तारीख', अधिनियम की धारा 139 की उपधारा (1) के स्पष्टीकरण 2 के खंड (क) में निर्दिष्ट निर्धारितियों के मामले में, 30 सितंबर, 2025 से बढ़ाकर 31 अक्टूबर, 2025 कर दी गई है।

इस आशय का एक औपचारिक आदेश/अधिसूचना अलग से जारी की जा रही है।

(जया चौधरी)
आयकर आयुक्त (आईटीए)
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड